न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 16/2025 **दायर दिनांकः 03.03.2025**

उनवान

1. द्रोपती बाई आयु 54 वर्ष पुत्री पन्नालाल पत्नी मूलचन्द जाति धाकड निवासी खेडलीबांसला तहसील अटरू हाल टांची तहसील छीपाबडौद जिला बारां (राज०)

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 30.06.2025**

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल खेडली बांसला पटवार हल्का बरला तहसील अटरू में प्रार्थिया के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 116 का खसरा नं. 316 का रकबा 0.30 है0, खसरा नं. 317 का रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 318 का रकबा 0.04 है0, ख.न. 514/672 का रकबा 0.03 है0, ख.नं. 529 का रकबा 0.28 है0, खसरा न. 530/674 का रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 547 का रकबा 0.53 है0, खसरा नं. 548 का रकबा 0.11 है0, खसरा नं. 551 का रकबा 0.03 है0, खसरा नं. 552 का रकबा 2.32 है0 कुल किता 10 का रकबा 3.70 हैक्टर आराजी शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमे प्रार्थिया का हिस्सा 1/8 दर्ज खाता चला आ रहा है। नक़ल जमाबन्दी सम्वत 2074—2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थिया का नाम प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा फौती नामान्तरण में वारिसान का नाम दर्ज करते समय सहवन से द्रोपती बाई पुत्री पन्नालाल के स्थान पर भुलीबाई पुत्री पन्नालाल अंकित कर दिया है जो कि गलत है। प्रार्थिया का सही नाम द्रोपती बाई है जो कि उसके आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि दस्तावेजो में भी द्रोपती बाई नाम ही दर्ज है। उक्त

समस्त दस्तावेज व ग्राम पंचायत टांचा द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थिया राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरुस्त करवा कर अपना नाम भुलीबाई के स्थान पर द्रोपती बाई दर्ज करवाने की अधिकारिणी है, बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थिया का नाम भुलीबाई कर देने से प्रार्थिया को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थिया का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नहीं कर पा रही है। प्रार्थिया ने अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि श्रीमान तहसीलदार साहब को अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम/माल खेडलीबांसला तहसील अटरू जिला बारां में होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम एवं माल खेडली बांसला पटवार हल्का बरला तहसील अटरू में आराजी खाता संख्या 116 का खसरा नं. 316 का रकबा 0.30 है0, खसरा नं. 317 का रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 318 का रकबा 0.04 है0, ख.न. 514/672 का रकबा 0.03 है0, ख.नं. 529 का रकबा 0.28 है0, खसरा न. 530/674 का रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 547 का रकबा 0.53 है0, खसरा नं. 548 का रकबा 0.11 है0, खसरा नं. 551 का रकबा 0.03 है0, खसरा नं. 552 का रकबा 2.32 है0 कुल किता 10 का रकबा 3.70 हैक्टर आराजी में प्रार्थिया का नाम भुलीबाई पुत्री पन्नालाल के स्थान पर द्रोपती बाई पुत्री पन्नालाल दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2025/2117 दिनांक 04.06.2025 से रिपोर्ट पेश की गई।

साक्ष्यप्रार्थी के तहत शपथ पत्र Pw1 द्रापती बाई पुत्री पन्नालाल पत्नी मूलचन्द जाति धाकड निवासी खेडलीबांसला तहसील अटरू, Pw2 द्वारक्या बाई पुत्री पन्नालाल पत्नी

रामगोपाल जाति धाकड निवासी खेडलीबांसला तहसील अटरू हाल मूण्डला तहसील छबडा Pw3 कमला बाई पुत्री पन्नालाल पत्नी जगन्नाथ जाति धाकड निवासी खेडलीबांसला तहसील अटरू हाल चावलखेडी तहसील छबडा के शपथ पत्र पेश किए गए तथा अभिभाषक प्रार्थिया की बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीया की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल खेडलीबांसला पटवार हल्का बरलां सम्वत 2074–77 खाता संख्या 116, प्रशासक ग्राम पंचायत टांचा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, शपथ पत्र गवाहान व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

नकल जमाबन्दी ग्राम व माल खेडलीबांसला पटवार हल्का बरलां सम्वत 2074–77 खाता संख्या 116 में सहखातेदार प्रार्थीया की बहिन द्वारक्या बाई पुत्री पन्नालाल व कमला बाई पुत्री पन्नालाल ने भुली बाई का नाम द्रोपती बाई होना स्वीकार किया है तथा स्वयं उपस्थित होकर आदेशिका पर सहमति हस्ताक्षर किए।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, साक्ष्यप्रार्थी तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल खेडली बांसला पटवार हल्का बरला तहसील अटरू में आराजी खाता संख्या 116 का खसरा नं. 316 का रकबा 0.30 है0, खसरा नं. 317 का रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 318 का रकबा 0.04 है0, ख.न. 514/672 का रकबा 0.03 है0, ख.नं. 529 का रकबा 0.28 है0, खसरा न. 530/674 का रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 547 का रकबा 0.53 है0, खसरा नं. 548 का रकबा 0.11 है0, खसरा नं. 551 का रकबा 0.03 है0, खसरा नं. 552 का रकबा 2.32 है0 कुल किता 10 का रकबा 3.70 हैक्टर आराजी में सह खातेदार भुली बाई पुत्री पन्नालाल के स्थान पर द्रोपती बाई उर्फ भुली बाई पुत्री पन्नालाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल खेडली बांसला पटवार हल्का बरला तहसील अटरू में आराजी खाता संख्या 116 का खसरा नं. 316 का रकबा 0.30 है0, खसरा नं. 317 का रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 318 का रकबा 0.04 है0, ख.न. 514/672 का

रकबा 0.03 है0, ख.नं. 529 का रकबा 0.28 है0, खसरा न. 530／674 का रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 547 का रकबा 0.53 है0, खसरा नं. 548 का रकबा 0.11 है0, खसरा नं. 551 का रकबा 0.03 है0, खसरा नं. 552 का रकबा 2.32 है0 कुल किता 10 का रकबा 3.70 हैक्टर आराजी में सह खातेदार भुली बाई पुत्री पन्नालाल के स्थान पर द्रोपती बाई उर्फ भुली बाई पुत्री पन्नालाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू को भिजवायी जावे। प्रार्थीगण स्वयं अपने स्तर पर आदेश की एक प्रति शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां